रखे जाने का कोई प्रावधान नहीं है। ...(व्यवधान)... अतः इसके उपरांत, जम्मू एवं कश्मीर के संविधान के अनुसार राज्य की सरकार चलाना संभव नहीं होगा तथा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव कराए जाने तथा नई निर्वाचित सरकार का गठन होने तक, राज्य की सरकार को चलाने के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी। ...(व्यवधान)... सभापति महोदय, इस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए, राज्यपाल ने यह अनुरोध किया था कि राष्ट्रपति जी, भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत एक proclamation जारी करने पर विचार करें। ...(व्यवधान)... केन्द्र सरकार, राज्यपाल की रिपोर्ट तथा जम्मू एवं कश्मीर की स्थिति पर पूरी तरह से विचार करने के उपरांत इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि जम्मू एवं कश्मीर राज्य में भारत के संविधान के Article 356 के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का proclamation जारी करने के सिवाय कोई alternative शेष नहीं है। ...(व्यवधान)... अतः संविधान के Article 356 के अंतर्गत महामहिम राष्ट्रपति द्वारा १९ दिसम्बर, २०१८ को proclamation जारी किया गया और राज्य में राष्ट्रपति शासन दिनांक 20 दिसम्बर, 2018 से लागू हो गया। ...(व्यवधान)... सभापति महोदय, मैं सदन को यह भी अवगत कराना चाहता हूँ कि पूर्व में भी दो बार, एक बार 1986 एवं एक बार 1990 में, जम्मू एवं कश्मीर राज्य में संविधान के Article 356 के अंतर्गत proclamation, राज्यपाल शासन की 6 माह की अवधि समाप्त होने के बाद जारी किया जा चुका है। ...(व्यवधान)... सभापति महोदय, इस proclamation को लोक सभा द्वारा दिनांक 28 दिसम्बर, 2018 को पारित किया जा चुका है। अब मैं इस सम्मानित सदन से, मेरे द्वारा अभी स्पष्ट की गई जम्मू एवं कश्मीर राज्य की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, यह प्रस्ताव व अनुरोध करता हूँ कि जम्मू एवं कश्मीर राज्य के संबंध में संविधान के Article 356 के अंतर्गत दिनांक 19.12.2018 को जारी किए गए proclamation का इस सदन के द्वारा approval किया जाए, धन्यवाद।

The question was proposed.

MR. CHAIRMAN: The Resolution moved. ...(Interruptions)... Any Member desire to speak will do so after which the Minister will reply. ...(Interruptions)... Now, Shri Ghulam Nabi Azad. ...(Interruptions)...

WITHDRAWAL OF MEMBERS

MR. CHAIRMAN: Hon. Members. ...(Interruptions)... One minute. ...(Interruptions)... Hon. Members, you are forcing me to take action. Please understand, under the rules, there is a provision under Rule 255, Withdrawal of Members and Suspension of Members under Rule 256. "The Chairman may direct any member whose conduct is in his opinion grossly disorderly to withdraw immediately from the Council and any member so ordered to withdraw shall do so forthwith and shall absent himself during the remainder of the day's meeting." I am forced to take the names of the following Members:- Shri A. Navaneethakrishnan, Shri Muthukaruppan, Shri N.

Gokulakrishnan, Shri A.K. Selvaraj, Dr. R. Lakshmanan, Shrimati Vijila Sathyananth, Shri S.R. Balasubramoniyan, Shri A. Vijayakumar and also Shri R.S. Bharathi, Shri Tiruch Siva, Shrimati Kanimozhi and Shri T.K.S. Elangovan. I suggest to all these Members to immediately withdraw from the House as per the traditions and customs of the House. The House is adjourned to meet after fifteen minutes.

The House then adjourned at twelve minutes past two of the clock.

The House reassembled at twenty-eight minutes past two of the clock, MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It is a small request. ...(Interruptions)... Just one minute. ...(Interruptions)... It is a small request from the Chair again that since you have been named, kindly withdraw and go outside. ...(Interruptions)... Please. ...(Interruptions)... सदन को चलाने की हर मुमिकन कोशिश के बाद अगर यह स्थिति है तो मैं पुन: आधे घण्टे के लिए सदन को 3 बजे तक स्थिगित करता हूं।

The House then adjourned at twenty-eight minutes past two of the clock.

The House reassembled at three of the clock, MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair.

REQUEST TO ALLOW THE HOUSE TO FUNCTION

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I have just a small request... (Interruptions) Just wait for a minute. Kindly allow me to speak..... Please go back to your seats and allow the House to function ...(Interruptions)... यह उच्च सदन है। सदन में अनेक महत्वपूर्ण काम पड़े हुए हैं। जम्मू-कश्मीर से लेकर there are several important issues pending before us. So, my request is, please go back to your seats. I am just requesting you to go back to your seats. There are several important works to do ...(Interruptions)... मेरे सामने कोई विकल्प नहीं है कि इतने महत्वपूर्ण काम होने के बाद भी उच्च सदन में जहां और गरिमा की अपेक्षा की जाती है ...(व्यवधान)... लोक सभा चल रही है और हम कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपसे पुनः अनुरोध करूंगा कि प्लीज अपनी जगह पर जाएं और राज्य सभा में काम होने दें। प्लीज ...(व्यवधान)...

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल): सर, मैं सरकार की तरफ से यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि स्वयं जल परिवहन मंत्री जी यहां पर आए और उन्होंने कहा कि मैं इनकी समस्या पर अपना वक्तव्य देना चाहता हूं। यह वक्तव्य वह है, जिससे कि सदस्यों की संतुष्टि हो सकती है, लेकिन यह बड़े दुख की बात है कि आप लोगों ने और कुछ पार्टी के सदस्यों ने श्री नितिन